

संस्थापक एवं  
संरक्षक  
आजम खान

प्रदेश अध्यक्ष  
अमित  
घोगरकर

उपाध्यक्ष  
महेन्द्र सिंह  
परिहार

महासचिव  
वैभव श्रीवास्तव

महामंत्री  
संजय ठाकुर

कोषाध्यक्ष  
महफूज खान

कानूनी  
सलाहकार  
एडवोकेट बी  
यू खान

प्रती,

श्री जितेन्द्र शर्मा  
परियोजना प्रमुख (IRTS)  
ज़िक्रित्ज़ा हेल्थ केयर लिमिटेड  
भोपाल मध्यप्रदेश।

विषय:- जननी सेवा में अत्यधिक विषम परिस्थितियों के निर्मित होने से अनुबंधित सेवा समयावधी के पश्चात सेवा संचालित करने में पूर्णतः असमर्थता के साथ सम्पूर्ण प्रदेश के जननी वाहनों की स्थाई सेवा समाप्ती सूचना।

संदर्भ:- JESSMP/108/Madhyapradesh/2021-22/11-4Aug21.

महोदय जी,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ईंधन के मूल्यों में निरंतर वृद्धि एवं आपकी संस्था के द्वारा हर माह अनुचीत भारी शास्ति अधिरोपीत किये जाने तथा लागत मूल्य से कम भुगतान प्राप्त होने की वजह से प्रदेश के सभी जननी संचालक परियोजना की पुर्व निर्धारित अन्तिम तिथी के उपरांत सेवाएं देने में पूर्णतः असमर्थ रहेंगे।

श्रीमान जी इस सम्बंध में उतपन्न विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु आपको लिखित एवं मौखिक सूचना देने के उपरांत भी इस ओर आपके द्वारा ध्यान ना दिया जाना प्रदेश की आपातकालीन सेवा और हितग्राहीर्यों के प्रती आपकी लगातार असंवेदनशीलता तथा इस अतिआवश्यक सेवा को आपकी संस्था के द्वारा केवल आर्थिक लाभ अर्जित करने हेतु व्यवसायीक माध्यम बनाया जाना अत्यंत खेद पूर्ण रहा है, जोकि आपकी संस्था की आर्थिक तृष्णा की मानसिकता को लगातार प्रदर्शित करता आ रहा है।

महोदय जी इस सम्पूर्ण पंच वर्षीय परियोजना में आपके द्वारा अनुबंधित नियमों के विपरित हर माह अत्यधिक विलम्ब से भुगतान किये जाने तथा आपकी संस्था के द्वारा निर्मित अनियमितताओं की जिम्मेदारी जननी संचालको पर डालकर जबरन आर्थिक वसूली किये जाने के पश्चात भी प्रदेश के संचालको के द्वारा लाभ हानी को दरकिनार कर समर्पित भाव से निर्बाध सेवाएं दी जाती रही है तथा पिछले छः माह से ईंधन के मूल्यों में अप्रत्यासीत बढ़ोतरी से निर्मित आर्थिक अव्यवस्था के बाउजुद हमारे द्वारा स्वयं की पूंजी लगाकर सेवाएं जारी रखी गई परंतु आपकी संस्था के द्वारा इस विकट परिस्थिती में भी जननी सेवा में बिना किसी लागत के 9 रुपये प्रती किमी का शुद्ध लाभ लगातार अर्जित किया जाता रहा है।

प्रदेश के जननी एम्बुलेंस संचालको एवं जिक्रित्ज़ा हेल्थ केयर लिमिटेड कम्पनी के मध्य निष्पादित द्विपक्षीय अनुबंध के अनुसार दिनांक 8, माह सितम्बर, वर्ष 2021 को जननी सेवा परियोजना का अन्तिम दिवस होना उल्लेखित है, इस अनुसार सेवाओं के प्रती हमारी नैतिक जिम्मेदारी एवं वचनबद्धता पुर्व निर्धारित अनुबंधित दिनांक तक सिमित है, उसके पश्चात सम्पूर्ण प्रदेश में जननी सेवाएं बिना किसी पुर्व सूचना के स्थाई रुप से बंद कर दी जायेंगी।

अतः आप से निवेदन है कृपया अनुबंध में उल्लेखित नियमानुसार अगले 15 दिवस में जुलाई एवं अगस्त माह का सम्पूर्ण भुगतान एवं 50,000 रुपये की धरोहर राशि का भुगतान सिघ्र सुनिश्चित करें तथा संदर्भित पत्र में उल्लेखित समस्याओं का अतिसिघ्र निराकरण करने की कृपा करें।

संलग्न:-

1. जननी एक्सप्रेस संचालक संघ द्वारा प्रस्तुत स्थाई सेवा समाप्ती सूचना पत्र।
2. सम्पूर्ण मध्य प्रदेश के जननी संचालको द्वारा प्रस्तुत सेवा समाप्ती सूचना पत्र।

सादर धन्यवाद।

वैभव श्रीवास्तव  
प्रदेश महासचिव  
जननी एक्सप्रेस संचालक संघ मध्यप्रदेश।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
4. माननीय स्वास्थ्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मध्यप्रदेश।